कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग (चमोली)।
Office of the Executive Engineer, P.D, P.W.D. Karanprayag
E-Mail: eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 2077/10एल०ए० दिनांक 10/10/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर (चमोली)।

विषयः— **जनपद चमोली में कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.099 है० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः— **आपका पत्रांक 5785/12—1 दिनांक 25.06.2025।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.099 है० वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में पांच बिंदुओं की सूचना भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय द्वारा चाही गयी सूचना पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 803/10एल०ए० दिनांक 09.04.2025 द्वारा आपको पूर्व में प्रेषित कर दी गयी है। आपके पत्रांक 4907/12—1 दिनांक 01.05.2025 द्वारा पांच बिदुओं की सूचना प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित कर दी गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयक मोटर मार्ग पर अपने स्तर से विधिवत् स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

भवदीय

10/10/25

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.,
कर्णप्रयाग।

पत्रांक /10एल०ए० दिनांक / /2025

प्रतिलिपिः— सहायक अभियन्ता (चतुर्थ) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
कर्णप्रयाग।

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

पत्रांक / ,गोपेश्वर, दिनांक 01/05/2025।

फाइल नम्बर.....1.M.A
क्रम संख्या.......1073
03/5/25

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः— जनपद चमोली कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग हेतु 1.099 है0 वनभूमि का लोकनिर्माण को प्रत्यावर्तन। **ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UK/ROAD/9783/2015**

संदर्भः— **भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 1497/10 एल0ए0 दिनांक 10.10.2022.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.099है0 वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में पांच बिन्दुओ की सूचना भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चाही गयी है के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग की पत्र संख्या 803/10एल0ए0 दिनांक 09.04.2025 से इस कार्यालय निम्नानुसार को प्रेषित की गयी है:—

क्र.सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में चाही गयी सूचना	अनुपालन आख्या
1.	राज्य सरकार के पत्र दिनाक 28.09.2018 में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 2.198 है0 ग्राम घतोड़ा सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कराया गया है अतः राज्य सरकार म्यूटेशन सम्बन्धी खसरा खतौनी जिसमें यह लिखा हो कि उक्त भूमि वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद (हस्तान्तरण/नामान्तरण) कर ली गयी है" लिखा हो, की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।	अमलदरामद की प्रति संलग्न कर दी गयी है।
2.	राज्य सरकार सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या 03 एवं 05 के वचनबद्धता (Undertakings) की मूल प्रति प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	मूल प्रति संलग्न कर दी गयी है
3.	राज्य सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 06.09.2017 की शर्त संख्या 06,07 एवं 08 की अनुपालन आख्या की मूल प्रति अभी तक इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गयी है। अतः राज्य सरकार शर्त संख्या—06, 07 एवं 08 की अनुपालन आख्या की मूल प्रति इस कार्यालय को यथाशीघ्र प्रषित करना सुनिश्चित करें।	शर्त संख्या 06 FRA की प्रति मूल में ही प्रेषित की गयी थी जिसकी छायाप्रति पुनः प्रेषित की जा रही है। तथा वृक्षों की गणना सूची संलग्न कर दी गयी है
4.	इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण (CA Scheme) योजना हेतु कैम्पा कोष में 10 वर्षों के लिये रु0 5,57,330.00 की धनराशि जमा की गयी है परन्तु ऑनलाइन वैब पोर्टल पर CA Scheme रु0 3,18,365.00 की अपलोड की गयी है। अतः राज्य सरकार उपरोक्त विसंगति पर अपना स्पष्टीकरण प्रषित करें। यदि आवश्यक हो तो संशोधित CA Scheme रु0 5,57,330.00 के लिए प्रस्तुत करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा compensatory Afforestation हेतु रु0 5,57,330.00 एवं NPV हेतु रु0 9,28,655.00 कुल 14,85985.00 कैम्पा मद में जमा किया गया है। संशोधित CA Scheme रु0 5,57,330.00 का प्राक्कलन संलग्न किया जा रहा है।
5.	DSS के उपरान्त प्रस्तावित CA Area में पाया गया है कि CA Area अन्य प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/10119/2015 में भी CA हेतु प्रस्तावित किया गया है। अतः राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।	इस मार्ग हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम घतौड़ा में लिया गया है तथा प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/10119/2015 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्रांम नौली में लिया गया है। जो कि विषयांकित प्रकरण के प्रस्तावित क्षेत्र से अलग है। दोनों की डिजिटल मैप तथा जियो रिफरेन्स मैप संलग्न किये जा रहे हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नः— यथोपरि

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

AE III

पत्रांकः— 4907 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः— अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग (चमोली)।
Office of the Executive Engineer, P.D, P.W.D. Karanprayag
E-Mail: eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 1947/10एल०ए० दिनांक 20/09/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर (चमोली)।

विषयः– **जनपद चमोली में कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग के नव निर्माण की विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **इस कार्यालय का पत्रांक 911/10एल.ए. दिनांक 08–05–2024।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद चमोली में कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी०/यू०सी०पी०/06/119/2016/एफ०सी०/940 दिनांक 06.09.2017 द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर/भारत सरकार की शर्तानुसार अनुपालन आख्या ऑन लाईन अपलोड करते हुये इस कार्यालय के पत्र संख्या 911/10एल०ए० दिनांक 08–05–2024 द्वारा आपको की जा चुकी है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में अनुरोध है कि विषयक प्रकरण की विधिवत् स्वीकृति हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय
20.9.24
(इं० नवीन लाल वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
कर्णप्रयाग।

पत्रांक 1947/10एल०ए० दिनांक 20/09/2024

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त, लो०नि०वि०, गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

20.9.24
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
कर्णप्रयाग।

Computer Sandrbh.312

O/C

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

UTTARAKHAND

Email- eepdpwdkpg@gmail.com

uploaded

पत्रांक 911 / 10 L.D. दिनांक 08 / 05 / 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषयः– **जनपद चमोली में कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.099 है. वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः– **भारत सरकार का पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/119/2016/एफ.सी./1491 दिनांक 23.10.2018**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग वनभूमि प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/119/2016/एफ.सी./940 दिनांक 06.09.2017 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धांतिक स्वीकृति में भारत सरकार के द्वारा दी गयी शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्न प्रकार से संलग्न कर प्रेषित है–

क.सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	राज्य सरकार के पत्र दिनांक 28.09.2018 में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 2.198 है. ग्राम घतोड़ा सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कराया गया है। अतः राज्य सरकार म्यूटेशन सम्बन्धी खसरा खतौनी जिसमें यह लिखा हो कि उक्त भूमि वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद (हस्तान्तरण/नामान्तरण) कर ली गयी है" लिखा हो, की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।	अमलदरामद की प्रति संलग्न कर दी गयी है।
2	राज्य सरकार सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 एवं 05 की वचनबद्धता (Undertakings) की मूल प्रति प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	मूल प्रति संलग्न कर दी गयी है।
3	राज्य सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 06.09.2017 की शर्त संख्या 06, 07 एवं 8 की अनुपालन आख्या की मूल प्रति अभी तक इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गयी है। अतः राज्य सरकार शर्त संख्या – 06, 07 एवं 08 की अनुपालन आख्या की मूल प्रति इस कार्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	शर्त संख्या 06 में FRA की प्रति मूल में ही प्रेषित की गयी थी, जिसकी छायाप्रति पुनः प्रेषित की जा रही है तथा वृक्षों की गणना सूची संलग्न कर दी गयी है।
4	इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण योजना (CA cheme) हेतु कैम्पा कोष में 10 वर्षों के लिये रू. 5,57,330.00 की धनराशि जमा की गयी है परन्तु ऑनलाईन वैब पोर्टल पर CA Scheme रू. 3,18,365.00 की अपलोड की गयी है। अतः राज्य सरकार उपरोक्त विसंगति पर अपना स्पष्टीकरण प्रेषित करे। यदि आवश्यक हो तो संशोधित CA Scheme रू. 55,73,30.00 के लिये प्रस्तुत करें।	विभाग द्वारा Compensatory Afforestation हेतु रू. 5,57,330.00 एवं NPV हेतु रू. 9,28,655.00 कुल रू. 14,85985.00 कैम्पा मद में जमा किया गया है जिसके प्रतिपर्ण की प्रति संलग्न की जा रही है।
5	DSS के उपरान्त प्रस्तावित CA area में यह पाया गया है कि CA area अन्य प्रस्ताव संख्या FP/UD/ROAD/10119/2015 में भी CA हेतु प्रस्तावित किया गया है। अतः राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।	इस मार्ग हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम घतोड़ा में लिया गया है तथा प्रस्ताव संख्या FP/UD/ROAD/ 10119/2015 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण ग्राम नौली में लिया गया है जो कि विषयांकित प्रकरण के प्रस्तावित क्षेत्र से अलग है। दोनों के डिजिटल मैप तथा जियो रिफरेन्स मैप संलग्न किये जा रहे हैं।

(क्रमशः–2)

अतः उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण के उपरान्त अनुपालन आख्या तैयार कर भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

8.5.24
(इं. नवीन लाल)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

पत्रांक 911/10 L.A दिनांक 08/05/2024

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून को उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष 'नियोजन–।।।'' लो.नि.वि. उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियन्ता स्तर–। लो.नि.वि. पौड़ी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता सातवां वृत्त, लो.नि.वि. गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

8.5.24
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग (चमोली)।
Office of the Executive Engineer, P.D, P.W.D. Karanprayag
E-Mail: eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक ४०3 /10एल.ए. दिनांक 09/04/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर (चमोली)।

विषयः— **जनपद चमोली में कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.099 है. वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः— **भारत सरकार का पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/119/2016/एफ.सी./1491 दिनांक 23.10.2018।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग वनभूमि प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/119/2016/एफ.सी./940 दिनांक 06.09.2017 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में भारत सरकार के द्वारा दी गयी शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्न प्रकार से संलग्न कर प्रेषित है।

क्र.सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	राज्य सरकार के पत्र दिनांक 28.09.2018 में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 2.198 है. ग्राम घतोड़ा सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कराया गया है। अतः राज्य सरकार म्यूटेशन सम्बन्धी खसरा खतौनी जिसमें यह लिखा हो कि उक्त भूमि वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद (हस्तान्तरण/नामान्तरण) कर ली गयी है" लिखा हो, की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।	अमलदरामद की प्रति संलग्न कर दी गयी है।
2	राज्य सरकार सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 एवं 05 की वचनबद्धता (Undertakings) की मूल प्रति प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	मूल प्रति संलग्न कर दी गयी है।
3	राज्य सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 06.09.2017 की शर्त संख्या 06, 07 एवं 08 की अनुपालन आख्या की मूल प्रति अभी तक इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गयी है। अतः राज्य सरकार शर्त संख्या— 06, 07 एवं 08 की अनुपालन आख्या की मूल प्रति इस कार्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	शर्त संख्या 06 में FRA की प्रति मूल में ही प्रेषित की गयी थी, जिसकी छायाप्रति पुनः प्रेषित की जा रही है। तथा वृक्षों की गणना सूची संलगन कर दी गयी है।
4	इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण (CA Scheme) योजना हेतु कैम्पों कोष में 10 वर्षो के लिये रू. 5,57,330.00 की धनराशि जमा की गयी है परन्तु ऑनलाईन वैब पोर्टल पर CA Scheme रू. 3,18,365.00 की अपलोड की गयी है। अतः राज्य सरकार उपरोक्त विसंगति पर अपना स्पष्टीकरण प्रेषित करें। यदि आवश्यक हो तो संशोधित CA Scheme रू. 55,73,30.00 के लिये प्रस्तुत करें।	विभाग द्वारा Compensatory Afforestation हेतु रू. 5,57,330.00 एवं NPV हेतु रू. 9,28,655.00 कुल रू. 14,85985.0 कैम्पा मद में जमा किया गया है। जिसके प्रतिपर्ण की प्रति संलग्न की जा रही है।
5	DSS के उपरान्त प्रस्तावित CA area में ये पाया गया है कि CA area अन्य प्रस्ताव संख्या FP/UD/ROAD/10119/2015 में भी CA हेतु प्रस्तावित किया गया है। अतः राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे।	इस मार्ग हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम घतोड़ा में लिया गया है तथा प्रस्ताव संख्या हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण ग्राम नौली में लिया गया है। जो कि विषयांकित प्रकरण के प्रस्तावित क्षेत्र से अलग है। दोनों के डिजिटल मैप तथा जियो रिफरेन्स मैप संलग्न किये जा रहे है।

अतः उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण के उपरान्त अनुपालन आख्या तैयार कर भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

03.04.2025

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.,
कर्णप्रयाग।

पत्रांक /10एल.ए. दिनांक / /2025

प्रतिलिपिः— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून को उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिलाधिकारी चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉं वृत्त, लो.नि.वि., गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.,
कर्णप्रयाग।

0/c

Gmail EE PWD Karanprayag <eepdpwdkpg@gmail.com>

Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

monitoring-fc@nic.in <monitoring-fc@nic.in> Thu, Nov 9, 2017 at 6:50 PM
To: eepdpwdkpg@gmail.com
Cc: monitoring-fc@nic.in

This is to acknowledge that demand details submitted by User Agency have been verified by Nodal Officer and found to be correct. Detail of Proposal are given below.

Propsal Detail

1. Proposal No.	: FP/UK/ROAD/9783/2015
2. Proposal Name	: Construction of Koti Band to Ghathora Motor Road and 2 R.C.C. Bridge in district Chamoli
3. Category of the Proposal	: Road
4. Date of In-principle	: 31/01/2015

5. Name of the Applicant with Contact Details

Name	: PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Mobile No.	: 9997732566
Email ID	: eepdpwdkpg@gmail.com
State	: Uttarakhand
District	: Chamoli
Pincode	: 246444

Funds Demand Details

1. Compensatory Afforestation	: Rs. 557330/-
2. Additional Compensatory Afforestation	: Rs. 0/-
3. Penal Compensatory Afforestation	: Rs. 0/-
4. Catchment Area Treatment	: Rs. 0/-
5. Safety Zone	: Rs. 0/-
6. Additional Charges for protected area	: Rs. 0/-
7. Net Present Value (NPV)	: Rs. 928655/-
8. Other Charges	: Rs.0/-
9. Other Charges1	: Rs.0/-
10. Other Charges2	: Rs.0/-
11. Other Charges3	: Rs.0/-
Total Amount	: Rs. 1485985/-

Scanned with CamScanner

(iv). No. of patches: One

District 1. : Chamoli
(a). Village: Ghatora
(b). Area(in ha.): 2.2
(c). Copy of KML file of the patch: View File
(d). Khasra details: 461, 460
(e). Present owner: User Agency
(f). Copy of Ownership proof:

(v). Scanned copy of the map of the land identified for creation of Compensatory Afforestation prepared by using GPS ot Total Station:

Scanned with CamScanner
AnyScanner

प्रतिपर्ण /Counterfoil

आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी.द्वारा धन प्रेषण के लिए आवेदन
Application for RTGS/NEFT Remittance

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

शाखा/Branch:..KARANPRAYAG - 2385

दिनांक/Date 19.12.2017

Received From Ex. Engineer Prant. Divison P.W.D. Karan Prayag

चैकों द्वारा अंतरण आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए
By Cheques/Transfer for RTGS/NEFT
पर/on: 631438 dt. 19.12.17 से प्राप्त किया
बैंक/Bank: Corporation Bank
शाखा/Branch: FCS Bangalore
के पक्ष में/Favouring Uttranchal Campa

आईएफएससी कोड/ IFSCCode: CORP0000633

खाता संख्या/Account No: 150896197830080

राशि (रुपये)/Amount Rs.	1485985--
बैंक प्रभार/Bank's charges Rs.	-
योग /Total Rs.	1485985--

राशि/Rupees(in words): Fourteen lakh Eighty five thousand Nine hundred Eighty five only)

भारतीय स्टेट बैंक कर्णप्रयाग-02385
20 DEC 2017
Sandeep Singh

SBIHRS20171222000002B035

P.C. attested

अधि. अभियन्ता
प्रा. खण्ड लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

Scanned with CamScanner

AnyScann

321/112A
9-3-2019

– आदेश –

जनपद चमोली में कोटी बैण्ड से घतोड़ा देवीधार मोटर मार्ग किमी0 2 से 6 तक के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.099 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 2.198 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्र सं0–08वीं/यू0सी0पी0/06/119/2016/एफ0सी0/940 दिनांक 06.9.2017 की शर्त सं0–1 के अनुसार उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली में कोटी बैण्ड से घतोड़ा देवीधार मोटर मार्ग किमी0 2 से 6 तक के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.099 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में ग्राम घतोड़ा, प0वृ0 कोटी, तहसील कर्णप्रयाग की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0–11 के खसरा सं0–460 रकवा 1.650 है0 मध्ये 1.100 है0 भूमि, एवं खसरा 461 रकवा 1.911 है0 मध्ये 1.098 है0 भूमि अर्थात कुल 2.198 है0 भूमि, जो कि उत्तराखण्ड सरकार की नॉनजेडए श्रेणी–9(3)ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज हैं, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII(II) /2012–18 (120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(आशीष जोशी),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः 3183/छब्बीस–13 (2017–2018) गोपेश्वरः दिनांकः 8 ~~फरवरी~~ मार्च, 2018

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, कर्णप्रयाग।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग।

जिलाधिकारी,
चमोली।

पत्रांक /10 स्न.प. दिनांक / /2018
प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता मुख्यालय लो.नि.वि. कर्णप्रयाग / खण्डीय अधीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

R.S. कोटी

सहायक अभियन्ता
प्रा. खण्ड लो0 नि0 वि0
कर्णप्रयाग

Scanned with CamScanner

AnyScanner

नकल खतौनी

N.Z.A ग्राम घतोग रा०प० नि० कोटी

तहसील कर्णप्रयाग (चमोली)

1	2	3	4	
	श्रेणी 9(3) ङ :-	अन्य	कृषि	योग्य बंजर भूमि
11	बंजर	12 16 21 105 107 xxx 460 461 xxx 1771	0.008 0.003 0.025 0.020 0.015 xxx 2.650 1.911 xxx 0.483	सु० आ० श्रीमान जिलाधिकारी महोदय चमोली संख्या :3183 / छब्बीस - 13 (2017-18) गोपेश्वर दिनांक 3 मार्च 2018 के क्रम में ग्राम घतोग प० प० कोटी तह० कर्णप्रयाग के खाता सं० 11 के खसरा सं० 460 मध्ये 1.100 है० व खसरा सं० 461 मध्ये 1.098 है० कुल 2.198 है० भूमि वन विभाग के पक्ष नामान्तरण / हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ह० ह० जिलाधिकारी चमोली
		220	33.329	

नकल खतौनी असल से तैयार की गयी।

राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र (पटवारी) कर्णप्रयाग (चमोली) कोटी

THR (K)
तहसीलदार
कर्णप्रयाग

C.S.
10/04/2018
उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
ग्रा. अ. सेवा वि. खण्ड वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

परियोजना का नाम– जिला चमोली में कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.099 है० वनभूमि हस्तान्तरण

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

अमीन लो.नि.वि.	कनिष्ठ अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम– जिला चमोली में कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.099 है. वनभूमि हस्तान्तरण

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग के पश्चात सड़क के दोनों तरफ आस–पास के रिक्त स्थानों पर यथा सम्भव विभाग अपने व्यय पर वृक्षारोपण करेगा।

अमीन लो.नि.वि.	कनिष्ठ अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग

Scanned with CamScanner

1.6(a)

Annexure-I

FORM-I
(for Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. /

Dated : 14 / 01 /2015

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that **1.099 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand** for **Construction of Koti Band to Ghathora Motor Road & 2 R.C.C. Bridge in district Chamoli** falls within jurisdiction of Ghathora Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

(d) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.099 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,

(f) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

Sanjay Kumar
District Magistrate
Chan[redacted]tarakhand)

1.6(b)

Office of the District Collector,
District-Chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhnad), constiruted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Sanjay Kumar, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on ..14-01-2015... At .14:00 hrs at Chamoli in which the application claiming rights in village Ghathora of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 1.099 Hectares for the **Construction of Koti Band to Ghathora Motor Road & 2 R.C.C. Bridge in district Chamoli** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Commitiee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

Sanjay Kumar
District Magistrate -cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

Scanned with CamScanner

1.6(c)

(15)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम:– जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड ....चमोली........परिक्षेत्र के अर्न्तगत जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु (.0.105 .है. आरक्षित वन भूमि 0.378 .है. सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.616 है. वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.099 है. वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अर्न्तगत उप खण्ड स्तरीय समिति, (तहसील– कर्णप्रयाग) की दिनांक 13/01/015.....को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक 13/01/015 उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1:– श्री [illegible] उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग (   ) अध्यक्ष

2:– श्री [illegible]...... उप प्रभागीय वनाधिकारी .... सदस्य,

3:– श्री मोहन सिंह भण्डारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी कर्णप्रयाग .सदस्य/सचिव

4:– श्री [illegible] बी.डी.सी. क्षेत्र पंचायत ....कोटी.... सदस्य,

5:– श्री [illegible] पुरोहित वन अधिकार समिति सदस्य

6 श्रीमती [illegible] वन अधिकार समिति सदस्य

7 श्री [illegible] सिंह नेगी

प्रमुख उप [illegible] क्षेत्र पंचायत कर्णप्रयाग (चमोली)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यो का [illegible] स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगतकोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग का परियोजना हेतु 1.099 है. वन भूमि लोक निर्माण विभाग

[illegible] प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेत प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी [illegible] द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/ आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सम्मिति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अर्न्तगत कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु परियोजना के निर्माण हेतु 1.099 है. वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद – चमोली।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद – चमोली।

1.6(d)

(15)

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम:– जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य।

वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:– घतोड़ा,

तहसील – कर्णप्रयाग, जिला.– चमोली.

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अर्न्तगत विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु (0.105 हे. आरक्षित वन भूमि, 0.378 हे. सिविल सोयम भूमि 0.616 हे., वन पंचायत भूमि X हे.) अर्थात कुल 1.099 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत .....घतोड़ा... द्वारा दिनांक ....06/01/2015.........को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम घतोड़ा एवं कोटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत घतोड़ा, वि० ख० कर्णप्रयाग (चमोली))

(हस्ताक्षर) 9/1/15
ज्येष्ठ उप प्रमुख
क्षेत्र पंचायत
कर्णप्रयाग (चमोली)

Scanned with CamScanner

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह./–

ग्राम सचिव. ग्राम प्रधान– घतोडा.

नोट:– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र– 23.1

दिनाक 06/01/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत – घतोडा.

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1:–	सर्व श्री रघुवीर सिंह कोटियाल	रघुवीर सिंह
2–	,, प्रताप सिंह नेगी	Psnegi
3:–	,, नन्दन सिंह कोटियाल	नन्दनसिंह
4:–	,, अवतार सिंह नेगी	अवतार सिंह
5:–	,, प्रेम सिंह पंवार	[illegible]
6	महिपाल सिंह पंवार	[illegible]
7	दिगम्बर सिंह नेगी	[illegible]
8	पुष्कर सिंह पंवार	[illegible]
9	धीरेन्द्र सिंह पंवार	धीरेन्द्र सिंह
10	कुलदीप सिंह नेगी	Kuldeep Singh
11	उर्मिला देवी	सरिता देवी
12	सुनीता देवी	सुनीता देवी

प्रधान ग्राम पंचायत घतोडा वि० ख० कर्णप्रयाग (चमोली)

ज्येष्ठ उप प्रमुख क्षेत्र पंचायत कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रपत्र— 23.1

परियोजना का नामः—

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कनसिंगला

तहसील नारायणबगड़ जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मोटर मार्ग से कनोड़ा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.105 हे0 आरक्षितवनभूमि X हे0 सिविल सोयमभूमि X हे0 वनपंचायत भूमि अर्थात कुल 0.105 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कनसिंगला द्वारा दिनांक 13/06/2016 को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्यनहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कनसिंगला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 0.105 आरक्षित वन प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत ... नारायणबगड़ (चमोली)) ह0 13/06/2016
ग्रामसचिव

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत ... नारायणबगड़ (चमोली)) ह0 13/06/2016
ग्रामसचिव

नोटः— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

Scanned with CamScanner

प्रपत्र– 23.1

दिनांक 13/06/2016..... को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत [illegible]..............

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	मान सिंह	मान सिंह
2	जगत सिंह	जगत सिंह
3	रघुवीर	रघुवीर
4	भवर सिंह	[illegible]
5	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
6	गुमान सिंह	गुमान सिंह
7	जिते सिंह	जिते सिंह
8	ऊधम सिंह	ऊधम सिंह
9	मोहन सिंह	मोहन सिंह
10	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
11	कुंवर सिंह	[illegible]
12	लाल सिंह	लाल सिंह
13	कृपाल सिंह	कृपाल सिंह
14	महिपाल	महिपाल सिंह
15	केसर सिंह	केसर

ह०
वन पंचायत सरपंच
जिते सिंह

प्रधान ग्राम पंचायत
ग्रामप्रधान
12/09/2016
वि० ख० नारायणबगड़ (चमोली)

डिजिटल मैप – जनपद चमोली के अन्तर्गत कोटी बैण्ड – घतोड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई–5.000 कि0मी0)

Legend

- ● Muck Disposal
- Proposed_Road
- Alternate_Road
- Existing_Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो. नि. वि.

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

(चमोली)

Scanned with CamScanner

AnyScanner

जियो रेफरेंस मैप – जनपद चमोली के अन्तर्गत कोटी बैण्ड – घतोड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई–5.000 कि0मी0)

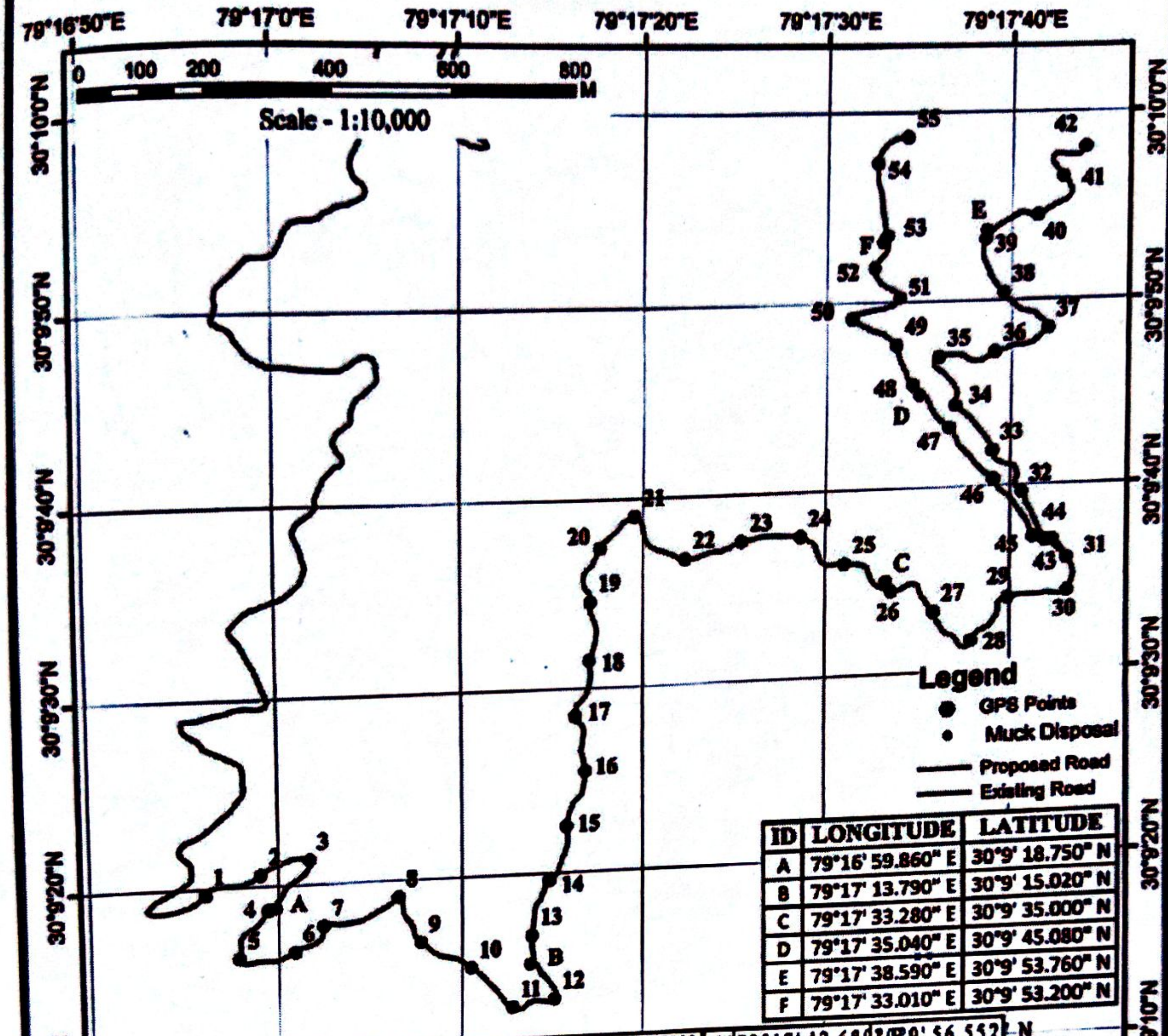

ID	LONGITUDE	LATITUDE
A	79°16' 59.860" E	30°9' 18.750" N
B	79°17' 13.790" E	30°9' 15.020" N
C	79°17' 33.280" E	30°9' 35.000" N
D	79°17' 35.040" E	30°9' 45.080" N
E	79°17' 38.590" E	30°9' 53.760" N
F	79°17' 33.010" E	30°9' 53.200" N

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79°16' 56.094" E	30°9' 19.676" N
2	79°16' 59.071" E	30°9' 20.624" N
3	79°17' 1.686" E	30°9' 21.334" N
4	79°16' 59.456" E	30°9' 18.694" N
5	79°16' 57.859" E	30°9' 16.135" N
6	79°17' 0.859" E	30°9' 16.320" N
7	79°17' 2.432" E	30°9' 17.696" N
8	79°17' 6.515" E	30°9' 19.089" N
9	79°17' 7.745" E	30°9' 16.531" N
10	79°17' 10.525" E	30°9' 14.969" N
11	79°17' 12.809" E	30°9' 12.711" N
12	79°17' 15.117" E	30°9' 13.050" N
13	79°17' 13.893" E	30°9' 16.606" N
14	79°17' 14.843" E	30°9' 19.621" N
15	79°17' 15.789" E	30°9' 22.543" N
16	79°17' 16.823" E	30°9' 25.526" N
17	79°17' 16.256" E	30°9' 28.540" N
18	79°17' 17.063" E	30°9' 31.495" N
19	79°17' 17.115" E	30°9' 34.599" N
20	79°17' 17.676" E	30°9' 37.428" N
21	79°17' 19.529" E	30°9' 39.047" N
22	79°17' 22.291" E	30°9' 36.681" N
23	79°17' 25.393" E	30°9' 37.478" N
24	79°17' 28.613" E	30°9' 37.609" N
25	79°17' 31.048" E	30°9' 36.062" N
26	79°17' 33.577" E	30°9' 34.500" N
27	79°17' 35.876" E	30°9' 33.282" N
28	79°17' 37.917" E	30°9' 31.673" N
29	79°17' 39.885" E	30°9' 33.937" N
30	79°17' 43.060" E	30°9' 34.216" N
31	79°17' 42.281" E	30°9' 36.986" N
32	79°17' 40.591" E	30°9' 39.609" N
33	79°17' 39.003" E	30°9' 41.973" N
34	79°17' 36.996" E	30°9' 44.459" N
35	79°17' 36.075" E	30°9' 47.072" N
36	79°17' 39.096" E	30°9' 47.279" N
37	79°17' 41.964" E	30°9' 48.502" N
38	79°17' 39.553" E	30°9' 50.416" N
39	79°17' 38.572" E	30°9' 53.327" N
40	79°17' 41.349" E	30°9' 54.541" N
41	79°17' 42.689	30°9' 56.552 N
42	79°17' 43.892	30°9' 58.116 N
43	79°17' 43.053	30°9' 35.963 N
44	79°17' 41.881	30°9' 36.946 N
45	79°17' 41.218	30°9' 37.185 N
46	79°17' 39.079	30°9' 40.350 N
47	79°17' 36.660	30°9' 43.302 N
48	79°17' 34.692	30°9' 45.615 N
49	79°17' 33.767	30°9' 47.725 N
50	79°17' 31.345	30°9' 49.201 N
51	79°17' 33.940	30°9' 50.257 N
52	79°17' 32.535	30°9' 51.862 N
53	79°17' 33.236	30°9' 53.573 N
54	79°17' 32.684	30°9' 57.408 N
55	79°17' 34.312	30°9' 58.739 N

J.E

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण खण्ड लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रभागीय वनाधिकारी

Scanned with CamScanner

डिजिटल मैप – जनपद चमोली के अन्तर्गत कोटी बैण्ड – घतोड़ा मोटर मार्ग (ल0–5.0 कि0मी0) के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल घतोड़ा सिविल 2.20 है0

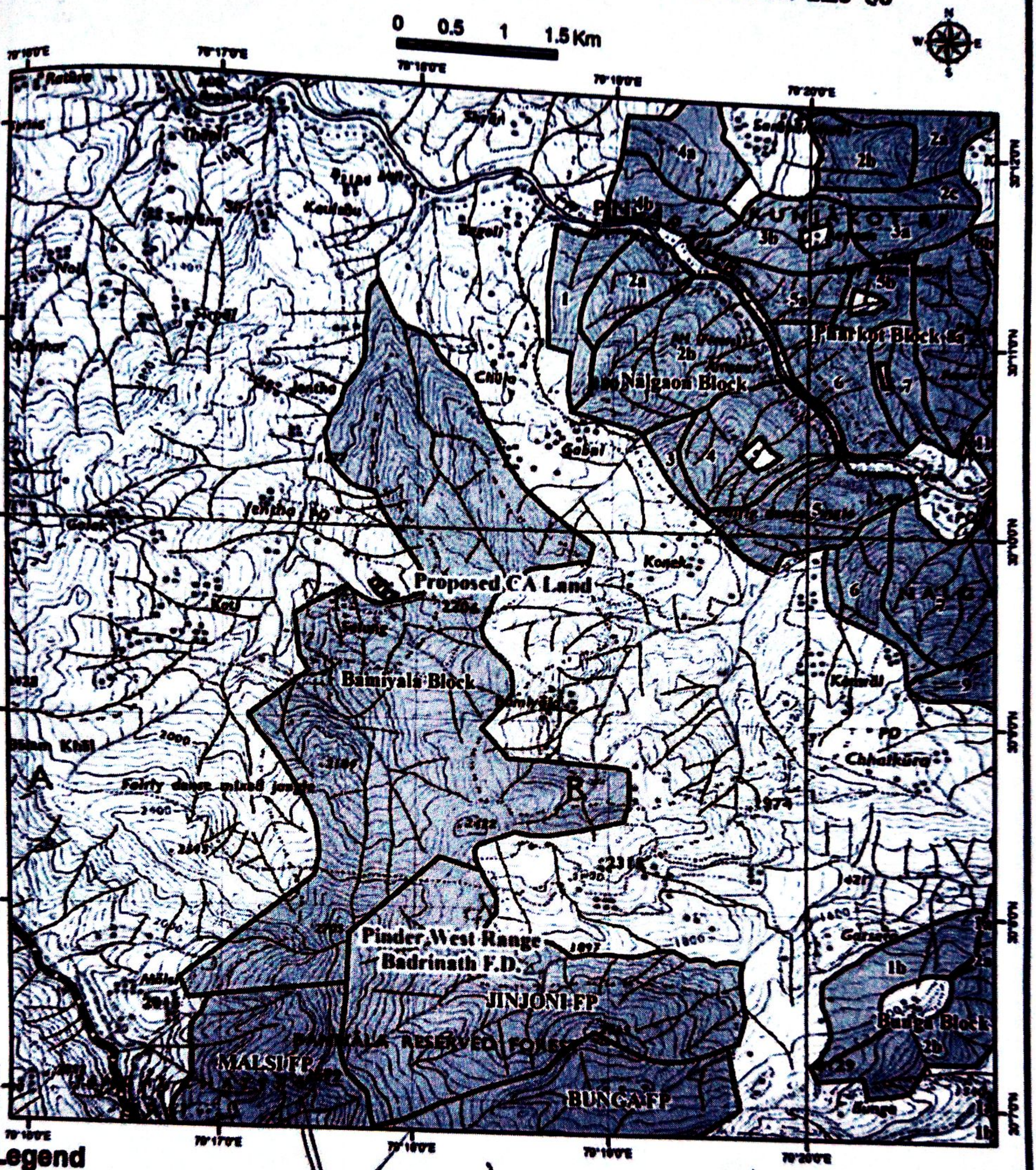

Legend

- Proposed Plantation
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Range Boundary
- Division Boundary

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
कर्णप्रयाग । चमोली]

Scanned with CamScanner

जियो रेफरेंस मैप – जनपद चमोली के अन्तर्गत कोटी बैण्ड – घतोड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई–5.000 कि0मी0) प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल

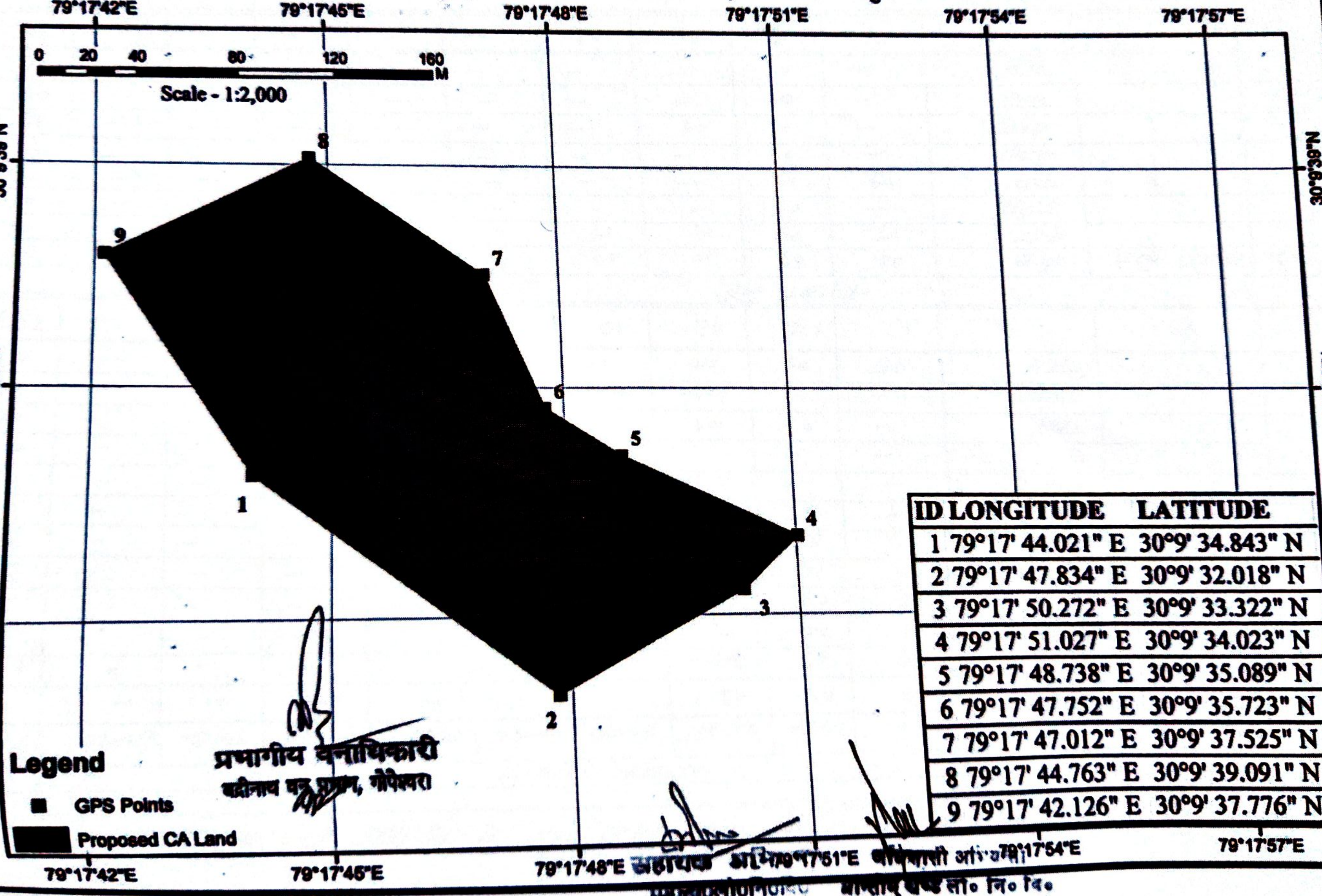

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79°17' 44.021" E	30°9' 34.843" N
2	79°17' 47.834" E	30°9' 32.018" N
3	79°17' 50.272" E	30°9' 33.322" N
4	79°17' 51.027" E	30°9' 34.023" N
5	79°17' 48.738" E	30°9' 35.089" N
6	79°17' 47.752" E	30°9' 35.723" N
7	79°17' 47.012" E	30°9' 37.525" N
8	79°17' 44.763" E	30°9' 39.091" N
9	79°17' 42.126" E	30°9' 37.776" N

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

सहायक अभियन्ता
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

कोटी बैण्ड के किमी० 2 से बलौंदा, किकोट मोटर मार्ग से प्रभावित होने वाले वृक्षों की पुन: गणना सूची जनवरी 2016

क्र. सं.	भूमि का प्रकार	प्रजाति	व्यासवार सारणी									योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	
01	वन पंचायत कोटी	फनियार	04	03	02	–	–	–	–	–	–	09
		बांज	84	79	24	03	–	–	–	–	–	190
		कुकाट	11	04	–	–	–	–	–	–	–	15
		काफल	15	07	03	01	–	–	–	–	–	26
		उरोम	20	14	05	–	–	–	–	–	–	39
		अंयार	22	23	09	01	–	–	–	–	–	55
		चीड़	01	02	01	–	–	–	–	–	–	04
		अखरोट	–	–	01	01	–	–	–	–	–	02
		पांगर	–	–	–	01	–	–	–	–	–	01
		पदम	–	03	01	03	01	–	–	–	–	08
		उतीस	–	–	01	–	–	–	–	–	–	01
		मेहल	05	01	01	–	–	–	–	–	–	07
			162	136	48	10	01	–	–	–	–	357
		नापखेत कोटी										
02	नापखेत कोटी	बांज	04	02	10	03	–	–	–	–	–	19
		कुकाट	02	03	01	01	–	–	–	–	–	07
		बमौर	–	01	–	–	–	–	–	–	–	01
		पदम	01	01	–	–	–	–	–	–	–	02
		अंयार	–	01	–	–	–	–	–	–	–	01
		भीमल	–	02	01	–	–	–	–	–	–	03
		काफल	–	01	–	–	–	–	–	–	–	01
		मेहल	–	01	–	–	–	–	–	–	–	01
			07	12	12	04	–	–	–	–	–	35

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	भूमि का प्रकार	प्रजाति	व्यासवार श्रेणी										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 over	
1	[illegible] सिमिल	सेहल	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	02
		अंगार	-	02	-	01	-	-	-	-	-	-	03
		बांज	05	07	02	-	-	-	-	-	-	-	14
		हल्दु	01	02	-	-	-	-	-	-	-	-	03
		काफल	01	04	-	-	-	-	-	-	-	-	05
		योग	08	16	02	01	-	-	-	-	-	-	27
			चलौसा / [illegible] नापखेत										
1	आरक्षित (चलौसा) नापखेत	खडीक	01	02	-	01	-	-	-	-	-	-	04
		शीशम	02	08	-	01	-	-	-	-	-	-	11
		पदम	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	01
		बांज	03	02	04	-	01	-	-	-	-	-	10
		तिमूला	01	01	02	01	-	-	-	-	-	-	05
		नाशपाती	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	01
		फनियार	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01
		हल्दु	01	02	01	-	-	-	-	-	-	-	04
		मेहल	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01
		काफल	02	01	-	-	-	-	-	-	-	-	03
		अंगार	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	02
		अखरोट	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01
		योग	11	20	07	04	02	-	-	-	-	-	44
			कमियाला रिजर्व										
1	कमियाला रिजर्व	काफल	-	01	03	02	-	-	-	-	-	-	06
		अंगार	06	05	03	03	-	-	-	-	-	-	17
		हल्दु	-	13	05	02	-	-	-	-	-	-	20
		बांज	03	05	-	-	-	-	-	-	-	-	08
		कुणज	-	01	02	01	-	-	-	-	-	-	04
		भमोर	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01
		योग	09	26	13	08	-	-	-	-	-	-	56

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
वनबीट अधिकारी
कमियाला बीट
दि० जन० 2016।

(राम लाल (उ०व०))
अनुभाग अधिकारी
नारायणबगड़ अनुभाग
दि० 19 जन० 2016।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

कुंडी मोड़ के km 02 से चिकोटे-घतौड़ा मोटर मार्ग से प्रभावित होने वाले वृक्षों की व्यासवार

पुनः गणना सूची - जन. 016

क्र. सं.	भूमि का प्रकार	व्यास सारणी										योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 ऊपर	
01	वन पंचायत कोठी	162	136	48	10	01	–	–	–	–	–	357
02	नापखेत कोठी	07	12	12	04	–	–	–	–	–	–	35
03	छतौड़ सिविल	08	16	02	01	–	–	–	–	–	–	27
04	रक्षित (छतौड़) नापखेत	11	20	07	04	02	–	–	–	–	–	44
05	वनपाला रिजर्व	09	26	13	08	–	–	–	–	–	–	56
		197	210	82	27	03	–	–	–	–	–	519

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
वनबीट अधिकारी
वनपाला बीट
दि० 19 जन. 016

(राम लाल (क.श.))
अनुभाग अधिकारी
नागनाथ अनुभाग
दि० 19 जन 016

वन क्षेत्राधिकारी
पोखरी पिण्डार रेंज
नागनाथ

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

D.F.O

Scanned with CamScanner

AnyScanner

बांज वृक्षों का प्रपत्र

कोटी बैण्ड कि0मी0 2 से घतोड़ा–त्रिकोट कि0मी0 6 तक मोटर मार्ग से प्रभावित होने वाले बांज वृक्षों की व्यासवार सूची–

1	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यासवार विवरण										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-Over	
1	वन पंचायत कोटी	बांज	84	79	24	3	--	--	--	--	--	--	190
2	नापखेत कोटी	बांज	4	2	10	3	--	--	--	--	--	--	19
3	घतोड़ा रिविल	बांज	5	7	2	--	--	--	--	--	--	--	14
4	घतोड़ा नापखेत	बांज	3	2	4	--	1	--	--	--	--	--	10
5	बमियाला रिजर्व	बांज	3	5	--	--	--	--	--	--	--	--	8
	योग–		99	95	40	6	1	--	--	--	--	--	241

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
पश्चिमी पिण्डर रेंज,
नारायणबगड़

Scanned with CamScanner

SCAN AnyScanner

परियोजना का नाम— जनपद चमोली में कोटी बैन्ड घतूडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.099 हैक्टेयर वनभूमि का हस्तान्तरण।

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग के निर्माण के पश्चात सडक के दोनो तरफ आस–पास के रिक्त स्थानों पर यथा सम्भव विभाग अपने व्यय पर वृक्षारोपण करेगा।

अभि०	कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
लो०नि०वि०	लो०नि०वि०	लो०नि०वि०	लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग